कार्यालय नगर पालिका चाकसू जिला जयपुर (राज0)

क्रमांकः न.पा.चा./2025–26/1843 दिनांकः– 12/06/2026

लेआउट प्लान समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 12/06/2026 को लेआउट प्लान समिति की बैठक अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. डॉ. बनवारी लाल मीना, अधिशाषी अधिकारी–अध्यक्ष/सचिव
2. श्री सतीश कुमार मीना, सहायक अभियन्ता–सदस्य
3. श्री चौथमल मीना, वरिष्ठ प्रारूपकार –सदस्य

विचारणीय बिन्दु :–1

समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान समिति बैठक कार्यवाही विवरण कमांक 1060 दिनांक 18.05.2026 तथा ले–आउट प्लान जारी कमांक 1158 दिनांक 21.05.2026 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान को निरस्त करते हुये प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान Unnati Shiv Vihar राजस्व ग्राम दयापुरा तहसील चाकसू, जिला–जयपुर आवासीय योजना जरिये आवेदक श्री प्रवीण सिंह मेनावत पुत्र श्री रामकरण बैरवा निवासी 1, तारानगर, मान्यावास जयपुर, राजस्व ग्राम– ग्राम दयापुरा 368/97,, 371/100, 373/105, 99 योजना का कुल क्षेत्रफल 5389 वर्गमीटर पर विचार विमर्श एवं निर्णय।

कमेटी द्वारा प्रस्तुत संशोधित लेआउट प्लान का अवलोकन किया गया एवं इस पर टाउनशिप पॉलिसी 2024 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श किया गया। कमेटी के समक्ष इस लेआउट प्लान के निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए है :–

1. इस योजना का क्षेत्रफल 5389 वर्गमीटर है।
2. कुल विकय योग्य क्षेत्रफल 45.47 प्रतिशत प्रस्तावित किया है, जिसमें 43.47 प्रतिशत आवासीय, 02 प्रतिशत IN. COMM हेतु प्रस्तावित किया है।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान सं. 1ए के अनुसार निजि विकासकर्ता को कुल आवासीय विकय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है, प्रस्तावित योजना में इस हेतु भूखण्ड आरक्षित नहीं किये है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान संख्या 1ए1 के अनुसार विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की कीमत आवेदक से जमा करवायी जा सकती है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की है, योजना में 18.56 प्रतिशत क्षेत्र पार्क/प्ले ग्राउण्ड हेतु, 04 प्रतिशत पब्लिक यूटिलिटी S.W.M./MT. हेतु, 4 प्रतिशत फेसिलिटी हेतु नियमानुसार आरक्षित किया गया है।
5. प्रस्तावित योजना में सडकों हेतु 27.98 प्रतिशत क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। टाउनशिप पॉलिसी 2024 के बिन्दु सं. 3.2.1 के अनुसार योजनओं में खुला/पार्क/सडक/सुविधा आदि क्षेत्र 40 प्रतिशत रखा जाना आवश्यक है, जिसकी पालना योजना में की गयी है।
6. प्रस्तावित योजना को 18 मीटर का पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है।
7. प्रस्तुत योजना मानचित्र में ठोस कूडा करकट संग्रहण केन्द्र एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानानुसार टेलीकॉम टॉवर हेतु क्षेत्रफल आरक्षित रखा गया है।
8. प्रकरण में आवेदित भूमि के बाबत् किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद/विवाद विचाराधीन है अथवा विपरीत निहित है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होकर मान्य होगा एवं एम्पावर्ड कमेटी द्वारा योजना मानचित्र अनुमोदन माननीय न्यायालय के निर्णयों के दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहेंगे।
9. प्रकरण में आवेदित योजना में भूखण्डों पर राजस्थान भवन विनियम 2025 के अनुसार सेटबेक आदि पैरामेटीर रखे जाकर निर्माण किये जाने से पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

प्रस्तावित योजना के उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया समिति की राय में संशोधित योजना में आवासीय, इन्फोर्मल, व्यावसायिक, सुविधा क्षेत्र (सडक, पार्क, पब्लिक यूटिलिट, फेसिलिटी, एसडब्ल्यूएम, मोबाईल टॉवर आदि) हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्रफल राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 तथा तकनीकी मापदण्डों से संगतता रखते है। अतः समिति द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान को निरस्त करते हुये प्रस्तुत संशोधित ले–आउट प्लान को 10 प्रतिशत भूखण्ड आन्तरिक विकास के पेटे रहन रखते हुये सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाता है।

(सतीश कुमार मीना) सहायक अभियन्ता–सदस्य	(चौथमल मीना) वरिष्ठ प्रारूपकार–सदस्य	(डॉ. बनवारी लाल मीणा) अधिशाषी अधिकारी–सचिव/अध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका चाकसू जिला जयपुर (राज0)

क्रमांकः न.पा.चा./2026/1158 दिनांकः–21/05/2026

श्री प्रवीण सिह मेनावत पुत्र श्री राम करण बैरवा
पता 1, तारानगर, मान्यावास, जयपुर,
राजस्थान।

विषय :– ले–आउट प्लान जारी करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा ग्राम – दयापुरा तह. चकासू जिला जयपुर खसरा सं. 368/97, 371/100, 373/105, 99 योजना का कुल क्षैत्रफल 5600 वर्गमीटर का आवासीय योजना **"उन्नति शिव विहार"** का ले–आउट प्लान अनुमोदन करवाने हेतु आवेदन किया गया था जिसका अनुमोदित ले–आउट प्लान आपको जारी मांग–पत्र अनुसार नियमन राशि, लीज राशि, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्ड के पेटे जमा राशि, लेआउट अनुमोदन शुल्क, सिटी इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज, बीएसयूपी शुल्क जमा कराने के उपरान्त जारी किया जाता है।

संलग्न :– अनुमोदित ले–आउट प्लान " **उन्नति शिव विहार** "

(डॉ बनवारी लाल मीणा)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

कार्यालय नगर पालिका चाकसू जिला जयपुर (राज0)

क्रमांकः न.पा.चा. / 2026 / 2002 दिनांकः– 19/06/2026

श्री प्रवीण सिह मेनावत पुत्र श्री राम करण बैरवा
पता 1, तारानगर, मान्यावास, जयपुर,
राजस्थान।

विषय :– संशोधित ले–आउट प्लान जारी करने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– पूर्व पालिका पत्रांक 1158 दिनांक 21.05.2026 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम – दयापुरा तह. चाकसू जिला जयपुर खसरा सं. 368 / 97, 371 / 100, 373 / 105, 99 कुल क्षैत्रफल 5600 वर्गमीटर की आवासीय योजना **"उन्नति शिव विहार"** का ले–आउट प्लान अनुमोदन कर नियमानुसार राशि जमा करवाने के पश्चात् पूर्व में पालिका पत्रांक 1158 दिनांक 21.05.2026 द्वारा जारी किया गया था। परन्तु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार संशोधित ले–आउट प्लान जारी करने की मांग की गई है। अतः खसरा सं. 368 / 97, 371 / 100, 373 / 105, 99 कुल क्षैत्रफल 5389 वर्गमीटर का लेआउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.06.2026 में संशोधित लेआउट प्लान अनुमोदन किया गया एवं संशोधित राशि जमा करवाने पर ले–आउट प्लान जारी किया।

संलग्न :– संशोधित अनुमोदित ले–आउट प्लान " **उन्नति शिव विहार** "

(डॉ बनवारी लाल मीणा)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चाकसू

EXISTING P.T. SURVEY AND LAYOUT PLAN OF "UNNATI SHIV VIHAR" (संशोधित)
IN KHASRA NO.368/97 373/105,371/100,99
AT VILLAGE-DAYAPURA ,TEH.CHAKSU,DIST.JAIPUR,RAJ

N

SCALE : 1CM : 4 MTR

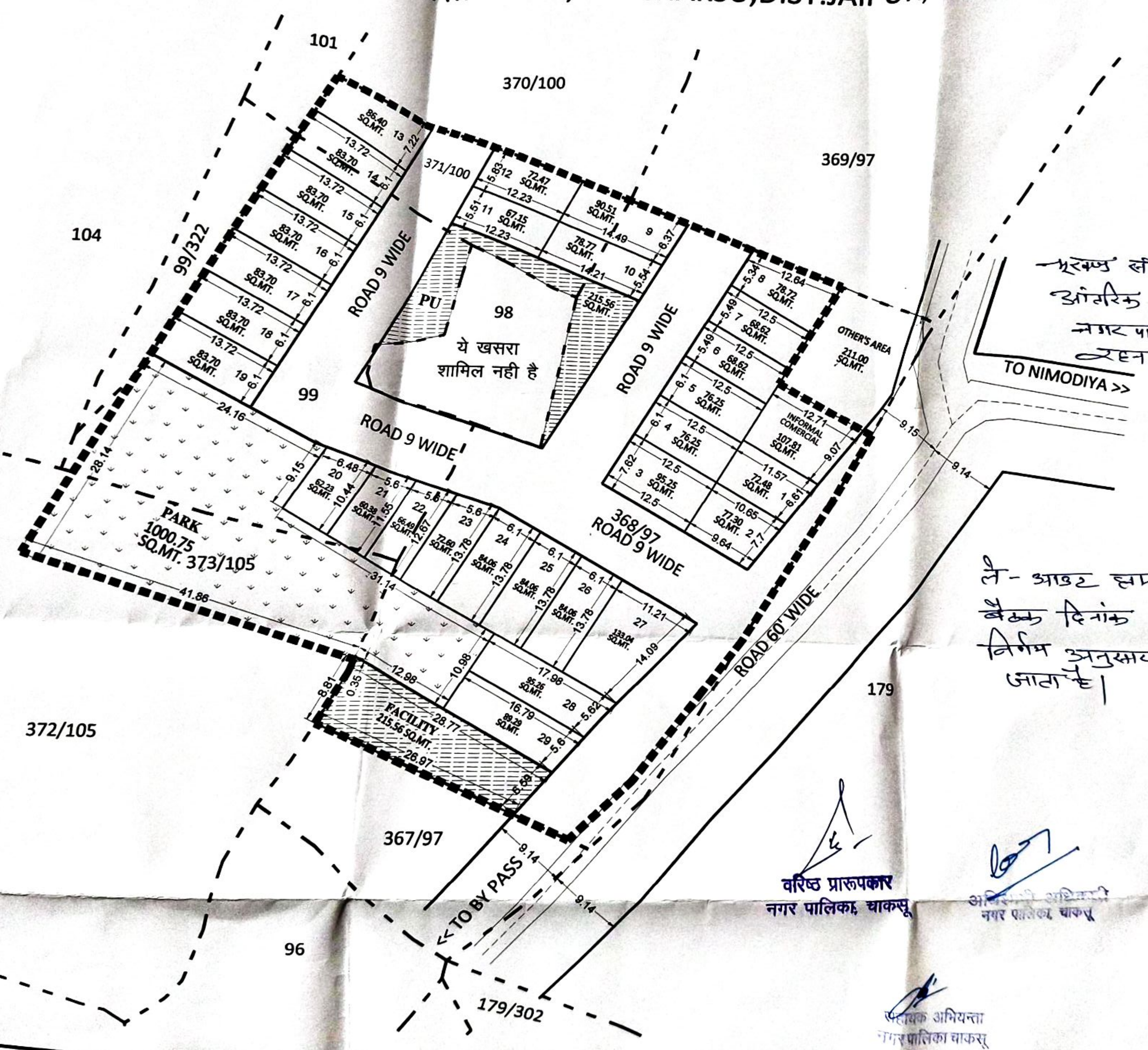

भूखण्ड संख्या 9, 12, 13 को आंतरिक विकास के पेटे नगर पालिका चाकसू मे रहन रखा जाता है।

NAGARPALIKA APPROVED CHAKSU

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.6.2026 के निर्णय अनुसार संशोधित किया जाता है।

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर पालिका चाकसू

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू

सहायक अभियन्ता
नगरपालिका चाकसू

1	72.48	SQ.MT
2	77.30	SQ.MT
3	95.25	SQ.MT
4	76.25	SQ.MT
5	76.25	SQ.MT
6	68.62	SQ.MT
7	68.62	SQ.MT
8	78.72	SQ.MT
9	90.51	SQ.MT
10	78.77	SQ.MT
11	67.15	SQ.MT
12	72.47	SQ.MT
13	86.40	SQ.MT
14	83.70	SQ.MT
15	83.70	SQ.MT
16	83.70	SQ.MT
17	83.70	SQ.MT
18	83.70	SQ.MT
19	83.70	SQ.MT
20	62.23	SQ.MT
21	60.38	SQ.MT
22	66.49	SQ.MT
23	72.60	SQ.MT
24	84.06	SQ.MT
25	84.06	SQ.MT
26	84.06	SQ.MT
27	133.04	SQ.MT
28	95.26	SQ.MT
29	89.29	SQ.MT
TOTAL	2342.46	

AREA DETAIL'S IN RECORD LAND

S.N.	K.NO.	RECORD AREA	APPLIED AREA
1	368/97	2816	2816.00
2	373/105	466	466.00
3	371/100	918	918.00
4	99	1400	1400.00
5	TOTAL	5600	5600.00
	SALE AREA		211.00
	REMAINING AREA		5389.00

AREA DETAIL'S IN PROPOSED SCHEME

S.NO.	LAND USE	SQ.MTR	SQ.YDS	%	%
1	RESIDENTIAL	2342.46	2801.58	43.47	45.47
2	INFORMAL COMM.	107.78	128.90	2.00	
3	PARK/PLAY GROUND	1000.00	1196.00	18.56	26.56
4	P.U./ SWM/M.T.	215.56	257.81	4.00	
6	FACILITY	215.56	257.81	4.00	
7	ROAD	1507.64	1803.14	27.98	27.98
8	TOTAL	5389.00	6445.24	100.00	100.00